प्रेस नोट

साइबर थाना, जनपद झांसी

दिनाँक 05.09.2026

- **जनपद झाँसी पुलिस द्वारा साइबर अपराध एवं फर्जी चिटफण्ड कम्पनियां संचालित कर भोले-भाले एवं जरूरतमंद लोगों को नौकरी का झाँसा देकर बंधक बनाने वाले अपराधियों के विरुद्ध की गई प्रभावी कार्यवाही,**
- **झाँसी पुलिस द्वारा साइबर अपराध एवं फर्जी कम्पनियां संचालित कर लोगों को नौकरी का झाँसा देकर बंधक बनाने वाले 08 अभियुक्त गिरफ्तार, बंधक बनाए गए 50 महिला/पुरुषों को सकुशल मुक्त कराया गया।**
- **कब्जे से साइबर अपराध में प्रयुक्त 08 मोबाइल फोन एवं जामा तलाशी से कुल ₹8,300/- नगद बरामद किए गए। इसके अतिरिक्त फर्जी कम्पनियों से संबंधित 06 रजिस्टर (गत्ता), 05 कापी, 06 डायरी, 09 प्रमाण-पत्र, एप्लीकेशन फार्म की 09 जिल्द, 01 कैशबुक, 03 इन्क्वायरी बुक, ₹20/- के कुल 52 स्टाम्प पेपर तथा 01 TVS मोटरसाइकिल बरामद की गई।**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी श्री विकास कुमार के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे प्रभावी अभियान के क्रम में झाँसी पुलिस द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम, फर्जी चिटफन्ड कम्पनियो के विरुद्ध कार्यवाही, साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी तथा आमजन को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखने हेतु निरन्तर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में साइबर फ्रॉड से संबंधित विभिन्न पोर्टलों, यथा प्रतिबिंब, एनसीआरपी, समन्वय आदि के माध्यम से प्राप्त शिकायतों तथा कुछ पीड़ितों द्वारा फर्जी कंपनियां संचालित कर नौकरी देने का झांसा देकर उन्हें बंधक बनाए जाने संबंधी शिकायतों की जानकारी प्राप्त हुई। उक्त शिकायतों की जांच एवं संकलित सूचनाओं से ज्ञात हुआ कि कुछ व्यक्तियों द्वारा विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध कारित करते हुए सुनियोजित एवं संगठित तरीके से लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर मोबाइल फोन कॉल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से संपर्क कर उन्हें अपने जाल में फंसाया जा रहा है।

उक्त व्यक्तियों द्वारा भोले-भाले लोगों को अपने साथ जोड़कर नेटवर्क/मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर धनराशि की ठगी की जा रही है तथा अवैध रूप से आर्थिक लाभ अर्जित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को अपने कब्जे में लेकर जबरन बंधक बनाकर रखने एवं उनकी स्वतंत्रता का हनन किए जाने संबंधी तथ्य भी प्रकाश में आए हैं। अभियुक्तगण द्वारा साइबर अपराध एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों को सुनियोजित ढंग से अंजाम देते हुए आपस में एक-दूसरे का सहयोग किया जा रहा है तथा अपराध से अर्जित आर्थिक लाभ को साझा करते हुए संगठित रूप से आपराधिक कृत्य किया जा रहा है।

प्राप्त सूचना का संज्ञान लेते हुए झाँसी पुलिस द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक झाँसी सुश्री सिमरन सिंह एवं क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम झाँसी श्रीमती असमा वकार के नेतृत्व में

पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित पुलिस टीमों द्वारा आज दिनांक 05.09.2026 को थाना प्रेमनगर, जनपद झाँसी के बिजौली चौकी क्षेत्रान्तर्गत स्थित M/S MAA LAXMI ASSOCIATE के कार्यालय, कृष्णा कॉम्पलेक्स, एल्डिको राजगढ़ में प्राप्त सूचना के संबंध में आवश्यक सूचना संकलन एवं सत्यापन की कार्यवाही की गई।

इस दौरान साइबर थाना पुलिस, थाना बरुआसागर एवं थाना बबीना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई तथा प्रकरण से संबंधित तथ्यों एवं साक्ष्यों का संकलन किया गया।

पुलिस टीम द्वारा की गई कार्यवाही के दौरान 08 अभियुक्तगण को मौके से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से साइबर अपराध में प्रयुक्त 08 मोबाइल फोन एवं जामा तलाशी से कुल ₹8,300/- नगद बरामद किए गए।

इसके अतिरिक्त फर्जी कम्पनी/चिटफण्ड कम्पनी से संबंधित 52 फर्जी स्टाम्प पेपर, 06 रजिस्टर (गत्ता), 05 कापी, 06 डायरी, 09 प्रमाण-पत्र, एप्लीकेशन फार्म की 09 जिल्द, 01 कैशबुक, 03 इन्क्वायरी बुक तथा 01 TVS मोटरसाइकिल बरामद की गई।

उक्त गैंग द्वारा अवैध रूप से बंधक बनाकर रखे गए कुल 50 पुरुष एवं महिलाओं को पुलिस टीम द्वारा सकुशल मुक्त कराया गया।

पूछताछ का विवरणः-

मौके से हिरासत में लिए गए व्यक्तियों से की गई प्रारम्भिक पूछताछ एवं उपलब्ध साक्ष्यों से ज्ञात हुआ कि अभियुक्तगण द्वारा सुनियोजित तरीके से लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर बुलाया जाता था तथा उन्हें धमकाकर बंधक बना लिया जाता था। बंधक बनाए गए व्यक्तियों से फोन कॉल कराकर उनके परिचितों एवं अन्य लोगों को नौकरी का लालच देकर बुलवाया जाता था।

अभियुक्तगण द्वारा एंट्री फार्म के नाम पर ₹1,100/- तथा नौकरी प्रारम्भ कराने के नाम पर ₹25,000/- से ₹30,000/- तक की धनराशि नकद वसूल की जाती थी। इसके बाद नेटवर्किंग/मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर लोगों से धनराशि की ठगी कर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित किया जाता था। अभियुक्तगण आपस में सहयोग करते हुए विगत काफी समय से संगठित रूप से साइबर ठगी एवं अन्य आपराधिक गतिविधियां संचालित कर रहे थे।

उक्त गैंग द्वारा पूर्व में जनपद वाराणसी एवं जनपद लखनऊ में भी इसी प्रकार के फर्जी कार्यालय संचालित कर लोगों को नौकरी का झांसा देकर अवैध गतिविधियां की जा रही थीं। उक्त जनपदों की पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए गैंग से जुड़े अन्य व्यक्तियों को लगभग 02-03 माह पूर्व गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। पुलिस की कार्यवाही के बाद गैंग के कुछ सदस्य वहां से निकलकर जनपद झाँसी आए तथा विगत 02-03 माह से किराए पर कार्यालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र बनाकर फर्जी नौकरी देने के नाम पर इसी प्रकार की अवैध गतिविधियां संचालित कर रहे थे।

पंजीकृत अभियोगः- उक्त प्रकरण के संबंध में साईबर थाना, जनपद झाँसी पर मु0अ0सं0 20/2026 धारा 318(4)/316(2)/61(2)/336(3)/338/340(2)/112(2)/) बीएनएस व 66 127डी(आईटी व 3/4/ प्राइज

चीट्स एण्ड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बैनिंग) एक्ट 1978 एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार 08 अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तगण उपरोक्त के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध मे जानकारी की जा रही है ।

प्रकरण में प्राप्त डिजिटल एवं अन्य साक्ष्यों का तकनीकी परीक्षण कराया जा रहा है। साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि, पीड़ितों की संख्या, अभियुक्तगण द्वारा प्रयुक्त बैंक खातों/मोबाइल नंबरों/डिजिटल माध्यमों तथा इस नेटवर्क में शामिल अन्य व्यक्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी संकलित की जा रही है। विवेचना के दौरान प्रकाश में आने वाले तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी।

<u>नाम पता अभियुक्तगण–</u>

01. रामसिंह मीणा पुत्र प्रकाश मीणा उम्र 24 वर्ष निवासी- ग्राम सिसोली थाना नरौली जनपद टोंक राजस्थान
02. लखन मेहता पुत्र पवन मेहता उम्र 19 वर्ष नि0- ग्राम कोयला थाना बारा जनपद टोंक राजस्थान
03. बब्लू पुत्र मुकेश कुमार उम्र 23 वर्ष नि0- ग्राम पनिहाला कोटपुतली राजस्थान
04. आलोक कुमार पुत्र स्व0 सत्यदेव मण्डल उम्र 33 वर्ष नि0- ग्राम धर्मपुरा थाना सिकन्दरा जमुई बिहार
05. प्रयागराज पुत्र कमलेश प्रजापति उम्र 21 वर्ष नि0- ग्राम देवली थाना अलीगढ जनपद टोंक राजस्थान
06. मोहित वर्मा पुत्र ओमप्रकाश वर्मा उम्र 19 वर्ष नि0- राजमेर थाना दूनी जनपद टोंक
07. सुरेन्द्र पुत्र रामदयाल नि0- ग्राम राजमेर थाना दूनी जनपद टोंक राजस्थान
08. नितेश पुत्र रामचन्द्र जाट नि0- ग्राम डूसरी थाना गरोनी जनपद टोंक राजस्थान

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

08 अदद मोबाइल फोन, जामा तलाशी से कुल 7300-/ रूपये नगद, 06 रजिस्टर (गत्ता), 05 कापी, 06 डायरी, 09 प्रमाण पत्र, एप्लीकेशन फार्म, 09 जिल्द, 01 कैशबुक, 03 इन्क्वाइरी बुक, 20 रुपये के 52 स्टाम्प पेपर व 01 टीवीएस मोटरसाइकिल

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –</u>

1. साईबर थाना प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र सिंह यादव मय पुलिस बल
2. थानाध्यक्ष बबीना उ0नि0 श्री राहुल राठौर मय पुलिस बल,
3. थानाध्यक्ष बरुआसागर उ0नि0 श्री प्रकाश सिंह मय पुलिस बल
4. थानाध्यक्ष महिला थाना श्रीमती नीतू मय पुलिस बल